



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032020-218937
CG-DL-E-27032020-218937

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1086]
No. 1086]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2020/चैत्र 7, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2020/CHAITRA 7, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

का.आ.1222(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, श्री पीगे लिगु, उपायुक्त, पापुम पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश सरकार को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड की नार्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/161/2018-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2020

S.O. 1222(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Pige Ligu, Deputy Commissioner, Papum Pare District, Government of Arunachal Pradesh to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for North–East Natural Gas Pipeline Grid Project of M/s. Indradhanush Gas Grid Limited in the State of Arunachal Pradesh.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/161/2018-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.